

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 184 / 2012

दायर दिनांक 03.07.2012

उनवान		
रामा	बनाम	मोहन

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 27.02.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर नही बार बार आवाज लगाने पर कोई हाजिर नही न्यायालय समाप्ति पर दौबारा आवज लगाई गई अत- हाजिर नही होने से पतरावली अदम हाजिरी में खारिज कि जाती है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

